न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 97/2018/(2018/00097) जिला–नागौर

माणकचन्द पुत्र बालचन्द (मृतक) जरिये वारिसानः–

1. श्रीमती कमलप्रभा जैन पत्नी स्व0 श्री माणकचन्द जैन
2. निर्मल जैन पुत्र स्व0 श्री माणकचन्द जैन
3. प्रवीण जैन पुत्र स्व0 श्री माणकचन्द जैन
   जरिये मुख्त्यारआम श्री जगदीश पसाद रूहेला पुत्र श्री नौलाराम निवासी डूंगरवास जिला सीकर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती तारा चौधरी पत्नी महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द
2. प्रमोद चौधरी पुत्र महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द
3. प्रमीला
4. रेखा
5. विभा समस्त पुत्रियां महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द
   समस्त जाति सरावगी निवासी नांवा जिला नागौर।
6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, नांवा जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर
दिनांक 09–04–2018 अन्तर्गत अपील संख्या 56/2017
बउनवान माणकचन्द बनाम सरकार व अन्य

––––

उपस्थित– 1. श्री प्रदीप विश्नोई अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री लेखू मंघारी, अभिभाषक अपीलार्थीगण
3. श्री शंकर लाल चौधरी प्रत्यर्थी संख्या 2

निर्णय

दिनांकः– 19–12–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने तहसीलदार, नांवा द्वारा प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 5 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1758 दिनांक

18—7—2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जिसें अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने अपने आदेश दिनाक 18—7—2017 से अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम नांवा स्थित साबिक खसरा नम्बर 4 रकबा 57 बीघा भूमि अपीलार्थीगण माणकचन्द पुत्र बालचन्द सरावगी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्री चिरंजीलाल पुत्र चम्पालाल जाति सरावगी निवासी नांवा से क्रय की थी। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थी माणकचन्द ने तहसीलदार नांवा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर माणकचन्द के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने का निवेदन किया। तहसीलदार, नांवा ने अपने पत्र क्रमांक 940 दिनांक 6—5—1972 के द्वारा पटवारी नांवा को पत्र लिखकर निर्देश दिये कि ग्राम नांवा की सरहद में 57 बीघा भूमि अपीलार्थी माणकचन्द पुत्र बालचन्द सरावगी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है। अतः रजिस्ट्री व कब्जे के आधार पर नामान्तरकरण खोला जावे। पटवारी हल्का ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 472 दिनांक 4—10—1972 खोलकर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद कर दिया परन्तु पटवारी हल्का ने त्रुटिवश माणकचन्द के पिता का नाम बालचन्द के स्थान पर लालचन्द अंकित कर दिया। सेटलमेंट विभाग के द्वारा सम्वत् 2046 के तहत ग्राम नांवा के साबिक खसरा नम्बर 4 की जगह नवीन खसरा नम्बर 9 रकबा 0.09 हैक्टर गैर मुमकिन कुंआ, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.042 हैक्टर, खसरा नम्बर 12 रकबा 5.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नमबर 30 रकबा 3.90 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 9.77 हैक्टर बने परन्तु सेटलमेंट विभाग ने राजस्व रेकार्ड को तैयार करते समय अपीलार्थी माणकचन्द की वल्दियत बालचन्द के स्थान पर सुगनचन्द कर दी। जिसके आधार पर आगे की जमाबंदी में उक्त खसरा नम्बरों की भूमि माणकचन्द पुत्र सुगनचन्द के नाम से दर्ज होती रही। उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त कराने हेतु अपीलार्थी द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट सपठित धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुति किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी, नांवा द्वारा स्थगन आदेश भी जारी कर विवादग्रस्त आराजियात का बेचान/हस्तांतरण एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किये हुए है।

उनका यह भी तर्क है कि इसी दौरान महेन्द्र कुमार पुत्र सुगनचन्द का स्वर्गवास हो गया और महेन्द्र कुमार के वारिसान प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 5 ने तहसीलदार नांवा के संमुख आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उनके पिता का नाम महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द पुत्र सुगनचन्द है वे उनकी वैद्य सन्ताने है तथा माणकचन्द

पुत्र सुगनचन्द के नाम से राजस्व रेकार्ड में ग्राम नांवा स्थित खसरा नम्बर 9, 11, 12, 13, 30 की जो कृषि भूमिया है वह उनके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। उक्त कार्यवाही वर्ष 2012 से प्रारम्भ की गई थी जिस पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 1758 भरकर प्रस्तुत किया जिस पर तत्कालीन तहसीदार ने नोट लगाया कि संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र एवं प्रमोद कुमार के शपथ पत्र से जाहिर होता है कि मृतक का परिवार उदयपुर निवास करता है। सक्षक अधिकारी/न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भू.अ.निरीक्षक द्वारा जांच में नहीं होना अंकित किया है। अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 21–9–2012 को इसी सन्दर्भ में एक टिप्पणी ंअकित की गई जिसमें पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में कब्जा नहीं होना बताया गया। सक्षम अधिकारी का वारिस प्रमाण पत्र नहीं है अतः खारिज योग्य है। उक्त विधिक कार्यवाही के पश्चात इस प्रकरण में पुनः तहसीलदार नांवा द्वारा दिनांक 17–7–2017 को भू.अ.निरीक्षक को पुनः जांच रिपोर्ट करने के निर्देश दिये गये जिसके आधार पर तहसीलदार ने नामान्तरकरण संख्या 1758 दिनांक 18–7–2017 को स्वीकार कर वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पक्ष में दर्ज कर दी गई। जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–4–2018 से अपीलार्थी की अपील खारिज कर नामान्तरकरण संख्या 1758 दिनांक 18–7–2017 को यथावत रख दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार, नांवा ने विवादित नामान्तरकरण संख्या 1758 दिनांक 18–7–2017 स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी के पिता के नाम की त्रुटि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेंट के दौरान हुई थी और माणकचन्द पुत्र बालचन्द के स्थान पर माणकर्चन्द पुत्र लाल चन्द के नाम से नामान्तरकरण स्वीकार हुआ उसके बाद सेटलमेंट विभाग ने माणकचन्द पुत्र सुगनचन्द कर दिया जिसकी दुरूस्ती के लिए अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी नांवा के समक्ष रेकार्ड दुरूस्ती का दावा अन्तर्गत धारा 136 प्रस्तुत किया था जिसमें यथास्थिति के आदेश पारित किये थे। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, नांवा ने दिनांक 18–7–2017 को जो नामान्तरकरण स्वीकार किया है वह नामान्तरकरण स्वीकार करने के अधिकार तहसीलदार को नहीं है क्योंकि नियमानुसार सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण स्वीकार करने के अधिकार थे। उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा ही सीधे कार्यवाही की है इसलिए तहसीलदार द्वारा बिना क्षैत्राधिकार के कार्यवाही की गई है। प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 5 ने जो सजरा प्रस्तुत किया है वह प्रत्यर्थीगण के द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर सांसद उदयपुर के प्रमाणीकरण के अनुसार सजरे को मानकर नामान्तरकरण को स्वीकार किया है जबकि नियमों के तहत ग्राम पंचायत को ही सजरा प्रमाणित करने का अधिकार है। इस प्रकार गलत सजरे के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार नांवा द्वारा किये गये आदेशों को दरकिनार करते हुए जो नामान्तरकरण तस्दीक किया है वह विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि राजस्व रेकार्ड एवं किसी अन्य दस्तावेज में महेन्द्र कुमार का नाम उर्फ माणकचन्द पुत्र सुगनचन्द अंकित नहीं है। वल्दियत के बादे में भी अन्य कोई दस्तावेज अथवा पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड अथवा राजस्थान शिक्षा बोर्ड एवं राजस्थान युनिवर्सिटी के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह अंकित हो कि महेन्द्र कुमार का नाम महेंन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द पुत्र सुगनचन्द है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी श्री माणकचन्द ने चिरंजीलाल पुत्र चम्पालाल से विवादित आराजियात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। चिरंजीलाल पुत्र चम्पालाल के साथ अन्य व्यक्ति सुगनचन्द पुत्र मांगीलाल थे। इन दोनों के बीच सीलिंग एक्ट के तहत मुकदमा सरकार बनाम चिरंजीलाल पुत्र चम्पालाल व सुगनचन्द पुत्र मांगीलाल, मुकदमा नम्बर 19/74 सक्षम अधिकारी न्यायालय परबतसर में चला तब इन व्यक्तियों ने अपीलार्थी के नाम खसरा नम्बर 9, 11, 12, 13, 30 की भूमि को नहीं दर्शाया है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि चिरंजीलाल ने जो भूमि अपीलार्थी को विक्रय की है वह भूमि उन्होंने सीलिंग में नहीं दर्शायी है तथा सक्षम अधिकारी ने भी अपने निर्णय दिनांक 30–4–1975 में उक्त भूमि का हवाला नहीं दिया है। इससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि का बेचान पूर्व में हो चुका था। सुगनचन्द पुत्र मांगीलाल के हिस्से की भूमि के खसरा नम्बर अलग–अलग है एवं जब सुगनचन्द की मृत्यु हुई तो सुगनचन्द के नाम से जो भूमि खसरा नम्बर 1258, 1290, 1291, 2058/1280 की जो भूमि थी वह महेन्द्रकुमार पुत्र सुगनचन्द जाति महाजन के नाम से पूर्व में ही दर्ज है। इसमें भी महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द नहीं लिखा है इससे स्पष्ट है कि पूरे प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 ने राजस्व कर्मचारियों एवं तहसीलदार से मिलीभगत कर रेकार्ड में हेराफेरी कर अपीलार्थी के द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के हक में कर अनियमितता की है। अतः अपीलार्थीगण की यह अपील स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–4–2018 तथा तहसीलदार, नांवा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1758 दिनांक 18–7–2017 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार, नांवा ने भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 17–7–2017 की पूर्ण जांच करने के बाद नामान्तरकरण संख्या 1758 स्वीकृत किया था। प्रत्यर्थीगण ने इस संबंध में नामान्तरकरण प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं माननीय सांसद के प्रमाण पत्र दिनांक 15–6–2013 प्रस्तुत किया था जिससे यह स्पष्ट था कि उक्त दस्तावेज के अनुसार माणकचन्द व महेन्द्र कुमार एक ही व्यक्ति है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तहसीलदार ने पूर्ण जांच करने के उपरान्त ही विधिवत रूप से नामान्तरकरण संख्या 1758 स्वीकृत किया था।

उनका यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, नांवा के आदेश दिनांक 7–7–2017 के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया था तथा उक्त स्थगन आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के आदेश दिनांक 12–7–2017 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण संख्या 1758 दिनांक 18–7–2017 स्वीकृत किये जाने के दौरान कोई विधिक बाधा नहीं थी। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग है। यदि अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात में किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार बनता है तो वह सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर अपना हक अधिकार तय करवा सकते है क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति के हक अधिकार व स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार, नांवा एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा अपने निर्णय में दी गई फाईडिंग और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण संख्या 1758 विधिवत रूप से स्वीकृत किया गया है जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम नांवा स्थित साबिक खसरा नम्बर 4 रकबा 57 बीघा भूमि अपीलार्थीगण माणकचन्द पुत्र बालचन्द सरावगी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्री चिरंजीलाल पुत्र चम्पालाल जाति सरावगी निवासी नांवा से क्रय की थी। सेटलमेंट विभाग ने दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही अपीलार्थी माणकचन्द की वल्दियत बालचन्द के स्थान पर सुगनचन्द कर दी जिसके आधार पर आगे की जमाबंदी में माणकचन्द पुत्र सुगनचन्द के नाम से दर्ज होती गई। राजस्व रेकार्ड अथवा किसी भी अन्य दस्तावेज में महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द पुत्र सुगनचन्द अंकित नहीं है उक्त वल्दियत के बारे में प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई भी दस्तावेजात अथवा पहचान पत्र, आधार कार्ड अथवा अन्य शिक्षा बोर्ड का कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया है और न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द पुत्र सुगनचन्द है। जमाबंदी में भी महेंन्द्र कुमार पुत्र सुगनचन्द ही अंकित है। पत्रावली में ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है जिससे महेन्द्र कुमार उर्फ माणकचन्द पुत्र सुगनचन्द अंकित हो।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्व ग्राम नांवा के गत खसरा नम्बर 4 रकबा 57 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी जरिये नामान्तरकरण संख्या 472 दिनांक 4–10–1972 को स्वीकृत हुई थी जिसमें लिपिकीय भूल से अपीलार्थी की वल्दियत बालचन्द की बजाय लालचन्द अंकित कर दी गई जबकि अपीलार्थी के पिता का

नाम बालचन्द है जो कि दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही अपीलार्थी के पिता की वल्दियत लाल चन्द के बजाय सुगनचन्द अंकित कर दी जबकि अपीलार्थी के पिता का नाम न तो लालचन्द था न ही सुगनचन्द था पूर्व रेकार्ड में अपीलार्थी के पिता का नाम बालचन्द अंकित है तथा विक्रय पत्र में भी बालचन्द का ही अंकन है जिसकी दुरूस्ती हेतु अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, नांवा के समक्ष रेकार्ड दुरूस्ती हेतु दावा अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर दिया था जिसमें तहसीलदार स्वयं पक्षकार था तथा उपखण्ड अधिकारी नांवा ने उक्त दावे में रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन आदेश जारी कर दिया था उसके पश्चात ही तहसीलदार, नांवा ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पक्ष में नामान्तरकण तस्दीक कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। तहसीलदार, नांवा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1758 दिनांक 18–7–2017 तस्दीक करते समय एक ही नाम के व्यक्ति होने के कारण त्रुटि से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना त्रूटिपूर्ण आदेश दिनांक 18–7–2017 पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–4–2018 एवं तहसीलदार, नांवा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1758 दिनांक 18–7–2017 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार, नांवा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व के दस्तावेज एवं अपीलार्थीगण को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 19–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवरलाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर